



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072020-220644
CG-DL-E-23072020-220644

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2020/आषाढ़ 31, 1942

No. 273]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2020/ASHADHA 31, 1942

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2020

फा.सं. CEA-PS-11-23(21)/1/2020-PSPA-I Division.—जबकि मेसर्स डब्ल्यूआरएसएस एक्सएक्सआई (ए) ट्रांस्को लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-105, आनंद निकेतन, नई दिल्ली - 110021 में है, ने पारेषण योजना “पश्चिम क्षेत्र सुदृढीकरण योजना-21 भाग-ए के लिए पारेषण प्रणाली- भुज पीएस में आर-ई इंजेक्शन के कारण गुजरात अंतः-राज्य प्रणाली में अतिभार से राहत के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण” के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I Division दिनांक 17.05.2019 के द्वारा पारेषण योजना “पश्चिम क्षेत्र सुदृढीकरण योजना-21 भाग-ए के लिए पारेषण प्रणाली- भुज पीएस में आर-ई इंजेक्शन के कारण गुजरात अंतः-राज्य प्रणाली में अतिभार से राहत के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण” के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइन की स्थापना के लिए मेसर्स डब्ल्यूआरएसएस एक्सएक्सआई (ए) ट्रांस्को लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना “पश्चिम क्षेत्र सुदृढीकरण योजना-21 भाग-ए के लिए पारेषण प्रणाली- भुज पीएस में आर-ई इंजेक्शन के कारण गुजरात अंतः-राज्य प्रणाली में अतिभार से राहत के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण” के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके

रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

1. भचाऊ - ईपीजीएल 400 केवी डी/सी (तिहरी) लाइन का एलआईएलओ- लकड़िया पीएस पर
2. भुज पीएस - लकड़िया पीएस 765 केवी डी/सी लाइन

स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाईन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

राज्य: गुजरात

- 1) भचाऊ - ईपीजीएल 400 केवी डी/सी (तिहरी) लाइन का एलआईएलओ - लकड़िया पीएस पर:

जिला	तहसील	गाँवों का नाम
कच्छ	भचाऊ	वास्तवा, शिवलखा, लकड़िया, घराना, पिपरा तलाव, राजनसर, सामाख्याली, ललियाना, गोरसरा तलाव, नवा कटाना, लखधीरगढ़, जंगी, भीमासर तलाव.

- 2) भुज पीएस - लकड़िया पीएस 765 केवी डी/सी लाइन:

जिला	तहसील	गाँवों का नाम
कच्छ	भचाऊ	लकड़िया, शिवलखा, शिवलखा आरएस, पिपरा तलाव, राजनसर, बलासरी, वास्तवा, घराना, अधोई, उदयपुर, लखपत, विजपसर, रामपर, हालरा, कर्मना, वोंधाडा, कुंजिसर, मेघपर, लखावत, बंधाडी, सिकरा, कागेश्वर महादेव, कुंभरदी, भावेश्वर महादेव, कब्रऊ, श्री कृष्णा नगर, अमदी, देसलपुर (कोठावाला), मोर्गर, बनियारी.
कच्छ	अंजर	फतेहपुर, बुधारमोरा, चकरमोरा, धामदका, अमरापर, इंद्रप्रस्थ (नया दुधई), दुधई, देवीसर, लखरा वेलारा, वेलारा तलाव, खिरसरा (उमर वन्ध), खिरसरा (रहीम वन्ध), खिरसरा (हलेपुत्र वन्ध), खिरसरा (मोर वन्ध), किरसरा (मियाना), यमुनगर, खिरसरा.
कच्छ	भुज	जवाहरनगर, लोठिया, खेंगरपर (धारमपुर), वनथरा, खेंगरपर, लोदई, उमेदपर, केशवनगर, धंग, फुलय, कोटई, लखरा तलाव, कुनरिया, कुनरिया, धोरी, धोरी, सुम्रासर, अमीबाग, लोरिया, जाटवन्धा, मिठानीवाडी, वकीलवाडी, झूरा.
कच्छ	नखतरना	वाडी, पालनपुर.

मेसर्स डब्ल्यूआरएसएस एक्सएक्सआई (ए) ट्रांस्को लिमिटेड ने उपरोक्त योजना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने की विद्युत मंत्रालय की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स डब्ल्यूआरएसएस एक्सएक्सआई (ए) ट्रांस्को लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाईन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है -

- (i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- (iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- (iv) आवेदक को "पश्चिम क्षेत्र सुदृढीकरण योजना-21 भाग-ए के लिए पारेषण प्रणाली- भुज पीएस में आर-ई इंजेक्शन के कारण गुजरात अंतः-राज्य प्रणाली में अतिभार से राहत के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण"

पारेषण योजना के तहत बिजली की तारें बिछाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। निर्माण कार्यों का ब्यौरा दिनांक 09-11-2019 से 15-11-2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

- (v) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (vi) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।
- (vii) मेसर्स डब्ल्यूआरएसएस एक्सएक्सआई (ए) ट्रांसको लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

पी.सी. कुरील, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./127/2020-21]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 8th July, 2020

F.No. CEA-PS-11-23(21)/1/2020-PSPA-I Division.—Whereas M/s WRSS XXI (A) Transco Limited, the applicant with its registered office at C-105, Anand Niketan, New Delhi-110021, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission System for Western Region Strengthening Scheme – 21 (WRSS – 21) Part – A – Transmission System Strengthening for Relieving Over Loadings Observed in Gujarat Intra-State System Due to Re-injections in Bhuj PS”.

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India *vide* its letter No. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I Division dated 17.05.2019 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s WRSS XXI (A) Transco Limited for the overhead line covered under the transmission scheme “Transmission System for Western Region Strengthening Scheme – 21 (WRSS – 21) Part – A – Transmission System Strengthening for Relieving Over Loadings Observed in Gujarat Intra-State System Due to Re-injections in Bhuj PS”.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission System for Western Region Strengthening Scheme – 21 (WRSS – 21) Part – A – Transmission System Strengthening for Relieving Over Loadings Observed in Gujarat Intra-State System Due to Re-injections in Bhuj PS”. The following overhead lines are covered under this transmission scheme:

1. LILO of Bhachau – EPGL 400kV D/c (triple) line at Lakadia PS.
2. Bhuj PS – Lakadia PS 765kV D/c line.

The above overhead line included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

STATE: GUJARAT

1. LILO of Bhachau – EPGL 400kV D/C (triple) line at Lakadia PS:

District	Tehsil	Name of Villages
Kachchh	Bhachau	Wastava, Shivilakha, Lakadia, Gharana, Pipra Talav, Rajansar, Samakhiali, Laliana, Gorasar Talav, Nava Katana, Lakhdhirgarh, Jangi, Bhimasar Talav.

2. Bhuj PS – Lakadia PS 765 kV D/C line:

District	Tehsil	Name of Villages
Kachchh	Bhachau	Lakadia, Shivilakha, Shivilakha RS, Pipra Talav, Rajansar, Balasari, Wastava, Gharana, Adhoi, Udaipur, Lakhpur, Vijpasar, Rampar, Halra, Karmana, Vondhada, Kunjisar, Meghpar, Lakhavat, Bandhadi, Sikra, Kageshwar Mahadev, Kumbhardi, Bhaveshwar Mahadev, Kabrau, Shri Krishna Nagar, Amardi, Desalpur (Kothawala), Morgar, Baniari.
Kachchh	Anjar	Fatehpur, Budharmora, Chakarmora, Dhamadka, Amrapar, Indraprastha (New Dudhai), Dudhai, Devisar, Lakhara Velara, Velara Talav, Khirsara (Rahim Wandh), Khirsara (Haleputra Wandh), Khirsara (Mor Wandh), Kirsara (Miyana), Khirsara (Umar Wandh), Yamunagar, Khirsara.
Kachchh	Bhuj	Jawaharnagar, Lothia, Khengarpar (Dharampur), Wanthra, Khengarpar, Lodai, Umedpar, Keshavnagar, Dhrang, Fulai, Kotai, Lakhara Talav, Kunaria, Kunaria, Dhori, Dhori, Sumrasar, Amibag, Loria, Jatwandh, Mithaniwadi, Vakilwadi, Jhura.
Kachchh	Nakhtarana	Wadi, Palanpur.

M/s WRSS XXI (A) Transco Limited had complied with the MoP's procedure for obtaining the authorization under section 164 of Electricity Act, 2003 for the above scheme. Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s WRSS XXI (A) Transco Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years;
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant has been entrusted with the responsibility for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission System for Western Region Strengthening Scheme – 21 (WRSS – 21) Part – A – Transmission System Strengthening for Relieving Over Loadings Observed in Gujarat Intra-State System Due to Re-injections in Bhuj PS". The details of the works are published in the Gazette of India dated 09-11-2019 to 15-11-2019.
- (v) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- (vi) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vii) M/s WRSS XXI (A) Transco Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

P.C. KUREEL, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./127/2020-21]